

II कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर II

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांक: २४३

/ १२-१

दिनांक, गोपेश्वर, जुलाई १९

/ २०२४

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।

विषय:-

जनपद चमोली में देवाल मुन्दोली मोटर मार्ग से राहोंका० ल्वाणी तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु


संदर्भ:-

आपकी पत्र सं० ७८२ / ३६सी० दिनांक ३०.०५.२०२४.

महोदय,


उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा चाही गयी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसका अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विन्दु सं० ०१ व विन्दु सं० ०२ के निर्देश के क्रम में अवगत कराना है कि आप द्वारा प्रेषित आख्या में एवं अपलोड के०एम०एल० फाईल में देखने पर पाया गया है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा लाभान्वित लाभार्थियों हेतु प्रस्तावित संरेखण के अलावा कम वन भूमि एवं कम वनों को क्षति पंहुचाते हुए नये वैकल्पिक संरेखण चयन करने हेतु लिखा गया, एवं आप द्वारा प्रेषित ऑनलाईन प्रस्ताव में अपलोड के०एम०एल० फाईल के अवलोकन करने पर पाया गया कि आप द्वारा चयनित वैकल्पिक संरेखण, प्रस्तावित संरेखण के समानान्तर आरक्षित वन भूमि में लिया गया है, वैकल्पिक संरेखण में अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

जबकि पूर्व में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण में सुझाव दिये गये थे, कि लाभार्थियों को प्रस्तावित संरेखण से न जोड़ते हुए, राहोंका०ल्वाणी के दूसरी तरफ पूर्व निर्मित देवाल मुन्दोली मोटर मार्ग से नाप भूमि/सिविल भूमि से होते जोड़ा जाय, उक्त सुझाये गये संरेखण में कम वन भूमि के साथ ही कम वृक्ष भी प्रभावित होगे, तथा राहोंका०ल्वाणी के साथ ही ल्वाणी गांव के सरहद से मिले आसपास के सभी गांव/तोक जुड़ जायेंगे। उक्त सुझाये गये संरेखण की गूगल अर्थ छायाचित्र में सफेद रंग से निम्नानुसार अंकित किया गया है।



अतः उक्त प्रकरण इस आशय से वापस किया जा रहा है कि सुझाये गये संरेखण के अनुसार नया प्रस्ताव तैयार करे, अथवा उक्त संरेखण में कोई विवाद हो, तो उक्त सुझाये गये संरेखण को वैकल्पिक संरेखण के रूप में प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाए, उक्त संरेखण को के०एम०एल० फाईल, डिटिजल मैप, तुलनात्मक विवरण, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, वृक्षों की गणना सूची, एवं वैकल्पिक मार्ग तलाशने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेख संशोधित कर प्रस्ताव में संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित करे, ताकि प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,


सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
